

18/11/20

आज यह पत्रावली पार्थी ने प्रा. पत्र पर
कार्यालय से तलब करे गई। वकील
अपार्थीगण उपस्थित। पार्थी ने अपना
सूत्र दावा विद्वै कर लिया है। अतः
प्रा. पत्र खारजीन होने के कारण खारिज
किया जाता है। पूर्व में जारी 72
खारिज की जाती व वकील अपार्थीगण
को और आपत्ति नहीं है। पत्रावली
दाखल दफ्तर है।

सुप्रीम अदालत
पहाड़ी (भरतपुर)

वेदले

Datt
20

कोई आपत्ति नहीं
प्रतिवादी 1 व

2
A